

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-01/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय
शीर्ष-2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान में रु०
28.00 लाख, 2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद
अनुदान में रु० 15.05 लाख, 2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त
वस्त्रादि के लिए अनुदान में रु० 19.50 लाख एवं व्यय
शीर्ष-2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव में रु० 36.15 लाख अर्थात्
कुल रु० 98.70 लाख (अब्जानबे लाख सत्तर हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि,
लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह
अनुदान का भुगतान, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद
अनुदान, उपशीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान,
लघुशीर्ष-117-पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता,
उपशीर्ष-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव, मांग संख्या-39, विपत्र
कोड-39-2245021010003, 39-2245021010005, 39-2245021010007 एवं
39-2245021170002 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपर्युक्त राशि 07 जिलों को लघुशीर्ष/उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार एवं पूर्व तथा
वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
4. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-442809, दिनांक-
18.06.2026, मधुबनी के पत्रांक-434116, दिनांक-06.06.2026, मुजफ्फरपुर के
पत्रांक-337, दिनांक-06.06.2026, सुपौल के पत्रांक-646-2, दिनांक-04.06.
2026, किशनगंज के पत्रांक-756, दिनांक-18.06.2026, सीतामढ़ी के पत्रांक-806,
दिनांक-18.06.2026 एवं अररिया के पत्रांक-776, दिनांक-12.06.2026 के द्वारा की
गई अधियाचना के आलोक में व्यय किया जाएगा।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की
जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के
आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गप्फार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/26
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक - I

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला का नाम	2245-02-101-00 03-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान (अगलगी के मददेनजर)		2245-02-101-00 05-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)		2245-02-101-00 07-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)		2245-02-117-00 02-दुधारू पशुओं का बदलाव, विषय शीर्ष-35 01-नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	दरभंगा	20.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	1.00	3.00	61.00	3.00
2	मधुबनी	20.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	1.00	15.00	61.00	15.00
3	मुजफ्फरपुर	20.00	28.00	40.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	61.00	28.00
4	सुपौल	16.00	0.00	30.00	0.00	14.00	0.00	1.00	10.00	47.00	10.00
5	किशनगंज	16.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	1.00	1.15	57.00	1.15
6	सीतामढ़ी	20.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	1.00	2.00	61.00	2.00
7	अररिया	16.00	0.00	30.00	15.05	14.00	19.50	1.00	5.00	47.00	39.55
	कुल	128.00	28.00	260.00	15.05	128.00	19.50	7.00	36.15	395.00	98.70

(अन्धानवे लाख सत्तर हजार रुपये)

संयुक्त सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-